**अति–आवश्यक**
**पीएमएवाई–जी**

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

**क्रमांक एफ 27( )/ग्रावि–5/लेखा/PMAY-G/Adm. Mod./2019–20 जयपुर, दिनांक** 19 **सितम्बर, 2019**

**जिला कलक्टर, समस्त**
**(अजमेर को छोडकर)।**

**विषय :–** Implementation of Administrative Fund Module under Of PMAY-G- reg

**संदर्भ :–** संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) के पत्र कमांक M-12018 /3/ 2014-RH (A/c) दिनांक 14.08. 2019 एवं MoRD की वी.सी. दिनांक 28.08.2019 विभागीय पत्र दिनांक 29.08. 2019, 30.08.2019, 12.09.2019 एवं 16.09.2019

विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र के कम में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रमीण के फेमवर्क 10.9 के अनुसार प्रशासनिक निधियां राज्य नोडल खाते से एफटीओ के माध्यम से आवाससॉफ्ट–पीएफएमएस प्लेटफॉर्म से ही योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्ययों का भुगतान किया जायेगा। प्रशासनिक कोष प्रबंधंन प्रणाली(AFMS) 01.09.2019 को अनिवार्य रूप से लागू करने के कम में विभागीय पत्र दिनांक 29.08.2019 द्वारा जारी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्ययों के जिला/ब्लॉक स्तर पर संधारित बैंक खातों के माध्यम से भुगतान बंद कर दिया है।

उक्त संबंध में संदर्भित पत्रों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक निधियों के बैंक खातों को बन्द किया जाकर दिनांक 31.08.2019 तक अवशेष राशि को राज्य नोडल खाते(बैंक ऑफ बडौदा, उद्योग भवन ब्रांच जयपुर, खाता संख्या 14630100009325 IFSC Code BARB0JAICOM खाते का नामः– इन्दिरा आवास योजना) में हस्तानान्तरित कराने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके जिले से आदिनांक तक कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः पुनः निर्देश है कि उक्तानुसार आपके जिले(जिला स्तर/ब्लॉक स्तर) में योजनान्तर्गत उपलब्ध सम्पूर्ण अवशेष राशि को दिनांक 20.09.2019 तक राज्य नोडल बैंक खाते में हस्तानान्तरित करते हुये यू.टी.आर नं. से भी अवगत कराना सुनिश्चित करावें ताकि योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्ययों के भुगतान प्रभावित न हो। पुनः उल्लेख है कि योजनान्तर्गत उपलब्ध सम्पूर्ण अवशेष राशि हस्तान्तरण के अभाव में भुगतान संबंधी कार्यवाही नहीं हो पाने की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

**(राजेश्वर सिंह)**
**अतिरिक्त मुख्य सचिव**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. संयुक्त सचिव(ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्(अजमेर को छोडकर) समस्त।

**अधीक्षण अभियंता, ग्रावि**